कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

कार्यालय विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–14/एडमिन डी–सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के माध्यम से पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या–41/एडमिन–डी सेक्शन दिनांकित 14.04.1980 के अनुक्रम में जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

- उक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायालय के कर्मचारियों कि आयु 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
- एतदद्वारा पुनर्नियुक्ति किसी पद पर एक बार में एक वर्ष तक के लिए की जा सकेगी, अथवा जब तक कि वास्तविक रिक्ति को भरने के लिए, पदोन्नति या सीधी भर्ती के माध्यम से, रिक्ति पूर्ति न हो जाये, अथवा पुनर्नियुक्ति कर्मचारी 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले होगा।
- उक्त पुनर्नियुक्ति पद पर परिलब्धियों के रूप में भुगतान की गई राशि अंतिम आहरित वेतन के मूलधन में से पेंशन की राशि को घटाकर होगी।
- उक्त पुनर्नियुक्ति का निर्धारण आवेदक/सेवानिवृत्त कर्मचारी के भूतकाल के सेवा अभिलेखों एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर किया जायेगा।

आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर दिनांक 19.01.2026 की सांय 4.30 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर से किसी भी कार्यदिवस मे कार्यावधि के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

Sl. No.	Post Name	Vacancy
1	Group-D Cadre	92

उक्त कार्यालय विज्ञप्ति व आवेदन पत्र का प्रारूप समस्त न्यायालय कर्मचारियों के मध्य परिचालित करायी जाये। सार्वजनिक प्रकाशन हेतु न्यायालय नोटिस बोर्ड पर चस्पां की जाये, एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड करायी जाये।

एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

(संजय सिंह– I)
अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारियों
की पुनर्नियुक्ति हेतु चयन समिति,
जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
09.01.2026

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटोग्राफ

1. नाम कर्मचारी :-

2. पिता का नाम :-

3. स्थानीय आवास का पता :-

4. मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी, यदि कोई हो :-

5. स्थायी आवास का पता :-

6. पद एवं जनपद न्यायालय का नाम, जहां से जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त होने की तिथि सहित। :-

7. यदि आपके विरूद्ध कोई अभियोग, अथवा अन्य कोई गैर न्यायिक जांच लम्बित है, तो विवरण अंकित करें। :-

8. अन्य कोई विवरण :-

दिनांक

हस्ताक्षर, आवेदक कर्मचारी